उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्याः 1665 /XVII(2)/2010
देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञाप (संशोधन)

शासनादेश संख्या 1221/XVII(2)/2007 दिनांक 08–01–2007 जिसके द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण विधेयक, 2006 हेतु जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए ''घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005'' के क्रियान्वयन हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 08–01–2007 द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 08–01–2007 द्वारा गठित 08 सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी में अब कुल 09 सदस्य होंगे।

2. यह आदेश उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। शेष शास्नादेश दिनांक 08–01–2007 यथावत रहेगा।

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्याः 1665 (1)/XVII(2)/2010/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊँ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. परियोजना निदेशक/समन्वयक महिला समाख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव